



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1295]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2014/ज्येष्ठ 28, 1936

No. 1295]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2014/JYAISTHA 28, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2014

का.आ. 1558(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (भूतल परिवहन और राजमार्ग विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 8 और क्रम संख्यांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"(8)	(क) सभी मोटर यानों में पहिया रिम लगे हुए।	आई एस : 9438:1980 समय-समय पर यथा संशोधित या आई एस : 9436 : 1980 समय-समय पर यथा संशोधित	इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख
	(ख) सभी ट्रेलरों और अर्द्ध ट्रेलरों में पहिया रिम लगे हुए	आई एस : 9438 : 1980 समय-समय पर यथा संशोधित	1 अप्रैल, 2016
22	(क) मैकेनिकल कपलिंग यंत्रों और मोटर यानों पर प्रयुक्त संघटक और ट्रेलर जो यानों और संधि-यानों के संयोजन के लिए आशयित है और	ए आई एस-091 (भाग 1)/2009, समय-समय पर यथा संशोधित	1 अप्रैल, 2016



	ऐसे यानों और संधि यानों का संयोजन।		
	(ख) संवृत्त कपलिंग यंत्रों और एन2, एन3 और टी4 प्रवर्गों के यान, यदि ऐसे यंत्रों के साथ मानकों में यथा विनिर्दिष्ट लगे हुए हैं।	ए आई एस-092/2009 समय-समय पर यथा संशोधित	1 अप्रैल, 2016"

[फा. सं. आर टी-11017/07/2012-एम वी एल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2014

**S.O. 1558(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 13th December, 2004, namely:-

1. In the said notification, in the Table, for Sl. Nos. 8 and 22 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall respectively be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"8.	(a) Wheel rims fitted in all motor vehicles.	IS:9438:1980 as amended from time to time or IS:9436:1980 as amended from time to time	Date of publication of this notification
	(b) Wheel rims fitted in all trailers and semi-trailers	IS:9438:1980 as amended from time to time	1st April, 2016
22	(a) Mechanical coupling devices and components used on motor vehicles and trailers intended to form a combination of vehicles and articulated vehicles and such a combination of vehicles and articulated vehicles.	AIS-091 (part 1)/2009, as amended from time to time.	1st April, 2016
	(b) Close coupling devices and the vehicle of categories N2, N3, T3 and T4, if fitted with such devices, as specified in the standard.	AIS-092/2009, as amended from time to time.	1st April, 2016."

[F. No. RT-11017/07/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.